

उत्तर प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा अनुभाग-5  
संख्या-31/2015/2599/सत्तर-5-2015-70(3)/2015  
लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-46/01/डीआर/एस-3/2012-13 टी0सी0-12 दिनांक 27-5-2015 द्वारा चयनोपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित अभ्यर्थी को उसके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में रिक्त प्रवक्ता-रसायन के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6000/- (यू0जी0सी0 वेतानमान) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	नाम	गृह जनपद	महाविद्यालय का नाम
1	श्री ऋषि रंजन पाण्डेय	गोण्डा	राजकीय महाविद्यालय, आलापुर, अम्बेडकर नगर

- 2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली-1985 यथा संशोधित के नियम 18(1) के अनुसार उक्त प्रवक्ता तैनाती की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
- 3- उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 4- इस तैनाती के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 5- अभ्यर्थी सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से अपने मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्र के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा उक्त पद पर वह अपना कार्यभार इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से 01 माह के अन्दर ग्रहण कर लेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
- 6- उक्त नियुक्ति अस्थायी राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित विभागीय नियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है।
- 7- कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्राचार्य को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे:-

(1) ओथ एलिजियन्स सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।

- (2) गोपनीयता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  - (3) चल-अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र ।
  - (4) विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/ पति होने का प्रमाण-पत्र ।
- 8- सम्बन्धि अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

मधु जोशी  
विशेष सचिव।

संख्या-31/2015/2599(1)/ सत्तर-5/2015.तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
  - 2 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
  - 3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
  - 4 संबंधित कोषाधिकारी ।
  - 5 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि प्रस्तर-7 में उल्लिखित प्रपत्र अभ्यर्थी से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करेंगे। प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा निर्धारित समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की सूचना शासन तथा निदेशक, उच्च शिक्षा को भेजी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0 (नेट के सम्बन्ध में) से भी कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी एक प्रति निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद को भी प्रेषित करेंगे ।
  - 6 संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।
  - 7 सम्बन्धित प्रवक्ता ।
  - 8 व्यक्तिगत पत्रावली ।
  - 9 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
कुँवर मकरन्द सिंह  
अनु सचिव।